आदेश एवं कार्यवाही टिप्पणी तारीख के साथ

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

राजसात् वाद संख्या–120/2022–23

जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)

–बनाम्–

बिनोद कपरदार एवं अन्य

–::आदेश::–

04.08.2023

अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–10/2023, दिनांक–06.02.2023 के द्वारा पेटरवार थाना कांड सं0–78/2021 दिनांक–15.06.2021, धारा–379/414/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AP-1992 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू, वाहन मालिक श्री विनोद कपरदार पिता कार्तिक कपरदार 2. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AQ-5513 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू, वाहन मालिक श्री अभिमन्यु कपरदार पिता गौरीनाथ कपरदार 3. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AD-1155 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू, वाहन मालिक श्री तारकेश्वर कपरदार पिता खुबलाल कपरदार, तीनो पता सा0 अंगवाली, थाना पेटरवार, बोकारो के विरूद्ध अवैध खनन एवं परिवहन करने के आरोप में दर्ज किया गया है। फलस्वरूप उनके The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत जप्त वाहन एवं बालू को राजसात् की कार्यवाही करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

वाद का सारांश है कि दिनांक–15.06.2021 को अनुमंडल पदाधिकारी, बेरमों की अध्यक्षता में कार्यपालक दण्डाधिकारी, बेरमों एवं तेनुघाट ओ0पी0 के पुलिस बल के साथ खेतको बालू घाट (दामोदर नदी) के समीप औचक छापेमारी के क्रम में 1. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AP-1992 2. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AQ-5513 एवं ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AD-1155 को बिना परिवहन चालान का अवैध बालु (प्रत्येक ट्रैक्टर पर लगभग 100 CFT बालू) परिवहन करते पाया गया तथा छापामारी टीम देखते ही वाहन चालक वाहन

vehicle. It is also reported that police has g...

छोड़कर भाग गए। तत्पश्चात विधिवत रूप से जप्ती सूची बना कर प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदा बालू तथा वाहन के मालिक/चालक के विरूद्ध पेटरवार थाना कांड में काण्ड दर्ज किया गया।

उक्त के क्रम में वाद की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए सभी प्रतिवादियों को निबंधित डाक के माध्यम से अपना–अपना पक्ष रखने के लिए सूचित किया गया। जिसके आलोक में विपक्षी सं0–1 एवं 3 के द्वारा उपस्थिति दर्ज करते हुए कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है, लेकिन सुनवाई के दौरान सभी प्रतिवादी पुकार पर पिछले पाँच तिथियों से लगातार अनुपस्थित है।

प्रतिवादी सं0–1 एवं 3 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान अधिहरण वाद सच्चाईयों पर एवं कानून के दृष्टिकोण से चलाने योग्य नहीं है। वादी के द्वारा विपक्षी के विरूद्ध लगाये गये आरोप सत्य से बिल्कुल परे, मनगढ़ंत एवं बेबुनियाद है। विपक्षी विनोद कपरदार तथा तारकेश्वर कपरदार क्रमशः ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AP-1992 एवं ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AD-1155 के मालिक है और निर्दोष है। उन्हें इस वाद में गलत तरीके से फँसाया गया है। विपक्षियों के द्वारा कभी भी अवैध रूप से बालू का परिवहन नहीं किया गया है। पुलिस के द्वारा विपक्षियों के विरूद्ध धारा–379/414/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act के अन्तर्गत वाद दायर किया गया है जो इस वाद में लागू नहीं होता है। जप्ती के समय वाहन खाली अवस्था में था, किन्तु सूचक के द्वारा मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। जप्ती सूची तैयार करने के दौरान किसी भी स्वतंत्र गवाह से भी इसका सत्यापन नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo At Tenughat के द्वारा G.R No. 697/21 में दिनांक–07.02.2023 को आदेश पारित करते हुए प्रश्नगत वाहन पंजीयन सं0–JH09AP-1992 को (बालू छोड़कर) सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में यह अधिहरण की कार्यवाही विधिक नहीं है। अतः न्यायहित में इस वाद को खारिज करते हुए समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी सं0–2 नोटिस प्राप्त करने के बाद भी लगातार सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी प्रकार का कारण–पृच्छा/लिखित जबाब दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है और न ही अपने बचाव में कुछ भी कहना है।

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पेटरवार थाना कांड सं0–78/2021 दिनांक–15.06.2021, धारा–379/414/34 भा0द0वि0, 21 MMDR Act के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AP-1992 (बालू छोड़कर) को मान्नीय न्यायालय S.D.J.M. Bermo At Tenughat के द्वारा दिनांक–07.02.2023 को न्यायिक आदेश पारित कर सशर्त विमुक्त किया जा चुका है। वाहन पर लदा बालू के संदर्भ में अब तक किसी के द्वारा भी दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रतिवादी सं0–2 सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे है। उनके द्वारा अपने बचाव में अब तक किसी भी तरह का कोई ठोस प्रमाण/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे कि प्रश्नगत वाहन ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AQ-5513 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू के विमुक्ति पर विचार किया जा सके। स्पष्टतः उक्त वाहन के मालिक को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। प्रतिवादी सं0–3 की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा में ऐसा कोई ठोस साक्ष्य या प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो कि उनके द्वारा अवैध रूप से बालू का परिवहन नहीं किया गया हो। बिना वैध कागजात के बालू का अवैध परिवहन करने से सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। अतः जप्त वाहन को अवैध रूप से बालू का खनन कर परिवहन करने के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी–2 एवं 3 को किसी भी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है। वर्णित परिस्थिति में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–10/2023, दिनांक–06.02.2023 को आंशिक रूप से स्वीकृत करते हुए पेटरवार थाना कांड सं0–78/2021 के अन्तर्गत जप्त 1. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AP-1992 पर लदा करीब 100 घनफीट

बालू (वाहन को छोड़कर) 2. ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AQ-5513 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू एवं ट्रैक्टर पंजीयन सं0–JH09AD-1155 एवं उस पर लदा लगभग 100 घनफीट बालू को राज्य सरकार के हित में राजसात् (Confiscate) किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

04.8.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

04.8.23

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2024.07.06 17:13:54 +05:30
Location: 192.168.1.109